


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>पत्रावली 4.06/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>08/08/2019</p>	<p>वकुलाय उपस्थित। प्रकरण संख्या 23/2017 में पारित निर्णय दिनांक 06.09.2019 की पालना में प्रकरण हाजा में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2017 को पुनर्विलोकित करने के कारण पत्रावली आज पुनः नम्बर पर ली गई। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण में अप्रार्थी के नाम जो पट्टा जारी किया गया है, उस समय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा पट्टे जारी करने पर रोक थी, इसके बावजूद भी पट्टे जारी किए गए हैं, जो विधि सम्मत नहीं हैं। अतः निगरानी स्वीकार करावें। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर निगरानी विवादित आराजी पर वर्ष 1990 के पूर्व से ही अप्रार्थी का कब्जा है। इस सम्बन्ध में सिलसिलेवार कार्यवाहियाँ हुई हैं, जिसमें अप्रार्थी के ससुर के पक्ष में प्रशासक एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति बाली ने दिनांक 05.02.1994 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण में विवादित आराजी अप्रार्थी के ससुर के पक्ष में नियमन की गई एवं सरपंच ग्राम पंचायत भन्दर को निर्देश दिए गए कि उक्त भूमि का पट्टा अप्रार्थी के ससुर के पक्ष में जारी करें, किन्तु सरपंच ग्राम पंचायत भन्दर द्वारा उक्त आदेश की कोई पालना नहीं की गई। इसके पश्चात अप्रार्थी के ससुर का देहान्त हो गया। तत्पश्चात अप्रार्थी के पति द्वारा विभिन्न स्तरों पर पट्टा जारी कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा अन्त में पंचायत के समक्ष पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। यदि उक्त पट्टा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा लगाई गई रोक की अवधि में जारी किया गया है, तो इस हेतु अप्रार्थी दोषी नहीं हैं। मौके पर उक्त आराजी पर अप्रार्थी का पुराना कब्जा है, मात्र तकनीकी कारणों से इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है। इस हेतु प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित कराने का निवेदन किया। हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण हाजा में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का जो मुख्य आधार लिया है, वह यह है कि जब पट्टा जारी किया गया, तब शासन उप सचिव (विधि) के आदेश क्रमांक एफ. 13( )परावि/विधि/पट्टा/सामान्य/14/1455 दिनांक 01.11.2014 के जरिये दिनांक 31.10.2014 के पश्चात कोई विक्रय विलेख या अन्य किसी प्रकार का कोई पट्टा किसी भी पंचायत के सरपंच/सचिव द्वारा अग्रिम आदेशों तक जारी नहीं करने के आदेश थे, इसके बावजूद भी सरपंच द्वारा दिनांक 03.11.2014 को जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। इसी आधार पर प्रकरण हाजा में दिनांक 29.09.2017 को निर्णय पारित करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा पारित जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टे को अपास्त किया किन्तु यह तथ्य कहीं भी परीक्षित नहीं हुआ कि जैर निगरानी आज्ञा के सम्बन्ध में अप्रार्थी के ससुर द्वारा अपने जीवनकाल में पट्टा प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की गई, जिसमें प्रशासक एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति बाली द्वारा दिनांक 05.02.1994 को</p>	



<p>तारीख</p>	<p>पुस्तक संख्या 06/2017 हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
	<p>निर्णय पारित करते हुए अप्रार्थी के ससुर वरदाराम के नाम पट्टा जारी करने के आदेश भी पारित किए, किन्तु उक्त आदेशों की पालना नहीं हुई। पत्रावली पर जो दस्तावेज मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, उनके अवलोकन करने पर भी यह प्रकट होता है कि जैर निगरानी विवादित आराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थी के ससुर द्वारा अपने जीवनकाल में तथा उनकी मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 के पति द्वारा पट्टा जारी कराने बाबत कार्यवाही की गई। अब जहाँ तक पट्टा जारी करने पर रोक लगी होने के बावजूद पट्टे जारी करने का प्रश्न है, जो यह प्रक्रियागत त्रुटी है, जिसके लिए अप्रार्थी संख्या 2 को दोषी ठहराया जाना न्यायोचित नहीं हैं। इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 (राज) 1999 पेज 459 हेमराज व अन्य बनाम लक्ष्मीनारायण व अन्य में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें अभिनिर्धारित किया कि "न्यायालय के पीठासीन अधिकारी एवं न्यायालय के अधिकारियों की त्रुटी के लिये पक्षकार पीड़ित नहीं होना चाहिये।" यह सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होता है। चूंकि प्रकरण में जो पट्टा जारी किया गया है, वह पट्टा जारी करने पर लगी रोक के बावजूद जारी किया गया है, इस कारण प्रथम दृष्टया ही पट्टा खारिज योग्य है, किन्तु मात्र इस कारण ही सम्पूर्ण प्रक्रिया को अवैध ठहराया जाना विधि सम्मत नहीं हैं। चूंकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 के ससुर द्वारा अपने जीवनकाल में 1991 से तथा उनकी मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 के पति द्वारा उक्त भूमि का पट्टा जारी कराने के सम्बन्ध में सिलसिलेवार कार्यवाही की गई है, इस कारण प्रकरण पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित करने हेतु ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>परिणाम स्वरूप 'निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण में ग्राम पंचायत भन्दर द्वारा मिसल संख्या 14/2003-04, संकल्प संख्या 2 दिनांक 20.10.2014 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 04 दिनांक 03.11.2014 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत भन्दर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना में करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत भन्दर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 08/08/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



  
 (वीरेन्द्रसिंह चौधरी)  
 अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली